



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-23/2023

दिनांक- 19 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- जहानागंज

चेकिंग के दौरान 01 कुंतल प्रतिबंधित मांस व मांस काटने के उपकरण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-18.01.2023 को उ0नि0 संतोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा ईदगाह के उत्तर पोखरे के पास समय करीब 21.10 बजे दबिश दिया गया तो कुछ व्यक्ति जो गोकशी कर रहे थे पुलिस को आते देख पोखरे की तरफ भागने लगे कि पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी में दौडाकर एक व्यक्ति को घेर मार कर पकड़ लिया गया तथा 06 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गये, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम शाह आलम उर्फ लैला पुत्र हन्नान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया तथा भागने वाले व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो बताया कि 1- जावेद उर्फ कल्लू पुत्र एकबाल 2. नूर आलम पुत्र मु0नईम 3. सलाऊ पुत्र मु0 सेराज निवासीगण बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व तीन व्यक्ति अन्य जिसका नाम पता नहीं जानता हूँ पकड़े गये व्यक्ति को लेकर घटना स्थल पर पहुँचे तो देखा कि पोखरे के बगल में प्रतिबंधित मांस करीब एक कुन्तल व एक अदद बड़ा दाब , व 04 अदद चापड़ व वाट 2 kg एक अदद व तराजू एक अदद व माँस काटने का लकड़ी का ठीहा एक अदद व लगभग 2 kg प्लास्टिक का पन्नी ब्लैक व गुलाबी मिला। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 31/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनीयम व 4/25 आर्मस एक्ट बनाम 1. शाह आलम उर्फ लैला पुत्र हन्नान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 31/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनीयम व 4/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी

01 कुन्तल प्रतिबंधित मांस

एक अदद दाब, चार अदद चापड़, एक अदद बाट 02kg, एक अदद तराजू , एक अदद लकड़ी का ठीहा एक अदद प्लास्टिक का पन्नी लगभग 2 kg,

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शाह आलम उर्फ लैला पुत्र हन्नान ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त-

1. जावेद उर्फ कल्लू पुत्र एकबाल निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. नूर आलम पुत्र मु0नईम निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. सलाऊ पुत्र मु0 सेराज निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व
- 4- तीन अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

श्री विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष, उ0नि0 सन्तोष कुमार व उ0नि0 अशोक सोनकर मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अतरौलिया

- ➡ दिनांक-23.07.2018 को वादी अतुल कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी थारपुर, राजेसुल्तान जनपद अम्बेडकर नगर ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की बहन सुतवंती उर्फ पूनम की शादी नीरज पुत्र स्व0 राजनारायन निवासी जमीन दशाव डडवा, थाना अतरौलिया आजमगढ़ के साथ वर्ष 2016 में हुयी थी, विपक्षी नीरज ने वादी की बहन को 02 लाख रूपये के लिए प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी गयी थी।
- ➡ जिसमें जिसमें नामजद अभियुक्त नीरज के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 159 सन् 2018 अंतर्गत धारा 498-a, 304b, भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।
- ➡ जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी।
- ➡ उपरोक्त मुकदमें में 07 गवाह परिक्षित हुए है।
- ➡ जिसके क्रम में दिनांक- 19.01.2023 को मा0 न्यायालय (गैंगेस्टर कोर्ट), आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज पुत्र स्व0 राजनारायन निवासी जमीन दशाव डडवा, थाना अतरौलिया, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।